चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.कंचन पुत्र राजेश सिंह निवासी खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2.मोदीलाल पुत्र कृष्ण प्रसाद निवासी खप्टिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध , प्रभारी निरीक्षक बरगढ श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1. अरविन्द पटेल पुत्र अजय पटेल निवासी मुरका थाना बरगढ जनपद चित्रकूट 2.अरविन्द पाण्डेय पुत्र अजबलाल पाण्डेय निवासी चचोखर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध एवं प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ रामू ठाकुर पुत्र दद्दू सिंह निवासी पतौडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(3).आज दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों तथा उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बैंक परिसरों तथा उनके आसपास मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहनता से जांच की गई। बैंकों के सुरक्षा रजिस्टर का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिसकर्मियों को सतर्कतापूर्वक एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।इसके अतिरिक्त बैंक परिसरों में स्थापित अलार्म, सायरन एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता का परीक्षण किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि सभी सुरक्षा उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। शाखा प्रबंधकों एवं बैंक अधिकारियों से सुरक्षा संबंधी आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराने हेतु जागरूक किया गया। चेकिंग के दौरान बैंक परिसर एवं उसके आसपास अनावश्यक रूप से बैठे अथवा बिना किसी वैध कारण के मौजूद व्यक्तियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई तथा उन्हें बैंक परिसर से बाहर कर भविष्य में अनावश्यक रूप से बैंक परिसर में न रुकने की हिदायत दी गई। साथ ही आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस हेल्पलाइन पर दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजकुमार व उनकी टीम द्वारा अ0स0 266/23 के धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त पवन कुमार सरोज पुत्र नन्कहू सरोज निवासी रुपौली मुस्तकीन थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री राजकुमार
2.आरक्षी शाकिर अली

(5). आज दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी ए.एच.टी. एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जनपद चित्रकूट श्री महेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर थाना कर्वी क्षेत्र के चौकी शिवरामपुर एवं थाना भरतकूप क्षेत्र में "बचपन बचाओ आंदोलन" के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न दुकानों एवं ढाबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुल 05 बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए। सभी बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराते हुए उनके हित में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

साथ ही बाल श्रम कराने वाले 04 दुकानदारों/ढाबा संचालकों के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण टिप्पणी/चालान की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भविष्य में किसी भी बच्चे से श्रम न कराने की सख्त हिदायत दी गई।

चित्रकूट पुलिस एवं श्रम विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई कि यदि कहीं भी बाल श्रम कराया जाता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस अथवा श्रम विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके तथा बच्चों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।